



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-26092025-266453
CG-MP-E-26092025-266453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4169]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/ आश्विन 1, 1947

No. 4169]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

भोपाल, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4287(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सरणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित उपखण्ड स्तम्भ (5) उल्लेखित जिलों के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के स्तम्भ (2) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (3) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

सारणी

क्रम सं	परियोजना का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखण्ड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सलामतपुर- साँची सेक्शन में रायसेन जिले में समपार संख्या 265 पर रोडओवर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील रायसेन	रायसेन	रायसेन

	ब्रिज का निर्माण कार्य ।			
2	ओबेदुल्ला गंज – बरखेडा सेक्शन में रायसेन जिले में समपार संख्या 239 पर रोडओवर ब्रिज का निर्माण कार्य ।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील गौहरगंज	गौहरगंज	रायसेन
3	ओबेदुल्ला गंज – बरखेडा सेक्शन में रायसेन जिले में समपार संख्या 238 पर रोडओवर ब्रिज का निर्माण कार्य ।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील गौहरगंज	गौहरगंज	रायसेन

[कंप्यूटर न. 333377 फा. सं. पमरे-बीपीएलसीओइंजि//2025-ओ/ओडीवायसीइ/सी-1/बीपीएल]

विजय पाण्डेय, मुख्य परियोजना प्रबंधक, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Bhopal, the 22nd September, 2025

S.O. 4287(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, The Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (3) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project in the state of Madhya Pradesh relating to Sub-Divisions mentioned in Column (4) Districts mentioned in Column (5) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of land acquisition in such Railway Project.

TABLE

S.No.	Name of Project	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Salamatpur-Sanchi section in Raisen District Construction of Road Over Bridge on LC No.265.	Sub Divisional Officer (Revenue) Raisen	Raisen	Raisen
2	Obaidulla Ganj-Barkhera section in Raisen District Construction of Road Over Bridge on LC No.239.	Sub Divisional Officer (Revenue) Goharganj	Goharganj	Raisen
3	Obaidulla Ganj-Barkhera section in Raisen District Construction of Road Over Bridge on LC No.238.	Sub Divisional Officer (Revenue) Goharganj	Goharganj	Raisen

[Computer No.333377 F. No. WCR-BPLC0ENGG/9/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

VIJAY PANDEY, Chief Project Manager, Construction